अपर सिविल जज (सी०डि०),न्यायालय संख्या 02,मथुरा

मूलवाद संख्या 695/ 2022

मालती बनाम अविनाश

**24-07-2024**

पत्रावली पेश हुई । पत्रावली प्रार्थना पत्र 22 ग पर आदेश हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र 22 ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र 22 ग**

प्रार्थना पत्र 22 ग वादीगण की ओर से इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी के द्वारा अपने प्रतिवादपत्र के चरण संख्या 36 में श्री राजशेखर दुबे की एक वसीयत वर्ष 2003 का जिक्र किया है लेकिन वादीगण की जानकारी में प्रतिवादी के द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र के साथ उपरोक्त कथित वसीयत पत्रावली पर बदनियति से दाखिल नहीं की है कि जिस वसीयत की कोई जानकारी वादीगण को कभी नहीं रही है तथा प्रतिवादपत्र के तथ्यों का खण्डन करने हेतु उपरोक्त वसीयत का बिना अवलोकन करे रैप्लीका प्रस्तुत किया जाना मुमकिन नहीं है जिस वजह से सर्वप्रथम आवश्यक है कि प्रतिवादी को आदेशित किया जाना आवश्यक है कि वह उक्त वसीयत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें तदानुसार वसीयत का अवलोकन करने के उपरान्त समुचित समय रैप्लीका प्रस्तुत करने का दिया जाना अति आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया ।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी को प्रतिवादपत्र के चरण संख्या 36 में वर्णित वसीयत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किये जाने की याचना की गई है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादपत्र कागज संख्या 20 क के चरण संख्या 36 के अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादी द्वारा राजशेखर दुबे की वर्ष 2003 में निष्पादित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति का मालिक व काविज होना अभिकथित किया गया है। अतः प्रतिवादी को उक्त वसीयत पत्रावली में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाना न्याय संगत होगा। प्रार्थना पत्र तदनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थना पत्र 22 ग स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत वसीयत की मूल प्रति पत्रावली पर दाखिल करे।

पत्रावली वास्ते रिप्लीका दिनांक 03-09-2024 को पेश हो।

(अनुपम सिंह)

अपर सिंविल जज (सी०डि०)

न्यायालय सं०–02, मथुरा।

आई०डी० क्रमांक–यू०पी०–2301